Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 25–2021]   CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 22, 2021 (ASADHA 1, 1943 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वन तथा वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जून, 2021

संख्या 1012–व–4–2021/2521.– चूंकि अधिसूचना संख्या का०आ० 191 (ई), दिनांक 27.01.2010 हरियाणा के गुरूग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र में पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की घोषणा के लिये पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित की गई थी;

और चूंकि भारत सरकार की इस अधिसूचना के अनुबन्ध 'ख' में दिए गए नक्शे के अनुसार पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में निम्नलिखित गांव शामिल हैं, अर्थात मकरौला, झाजरौला, मोहम्मदपुर, पाटली, धानवास, वजीरपुर, रामनगर, शिखावाला, गढ़ी हरसरू, तुगलकपुर, कालियावास, इकबालपुर, सैदपुर, खेतावास, हमरपुर,दया विहार, चंदू, ओमनगर, बुढेड़ा, सुल्तानपुर, हरसिंहवाली ढाणी, मिर्चीवालीढाणी तथा साधराना बरमरीपुर ;

और चूंकि भारत सरकार की इस अधिसूचना के पैरा 3 (1) के अनुसार पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के लिये जोनल मास्टर प्लान तैयार करना अपेक्षित है;

और चूंकि भारत सरकार की इस अधिसूचना का पैरा 3 (4) सभी विद्यमान तथा प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के स्वरूपों तथा प्रकार, कृषि क्षेत्रों, हरित क्षेत्रों, उपजाऊ भूमियों, बागवानी क्षेत्रों, फलोद्यानों, झीलों तथा अन्य जल निकायों का सीमांकन करने पर विचार करता है;

और चूंकि दिनांक 19.06.2020 की मास्टर प्लान का प्रारूप सभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त विशेषज्ञों सहित उपायुक्त, गुरूग्राम की अध्यक्षता के अधीन समिति द्वारा तैयार किया गया था;

और चूंकि राज्य वन्य जीव बोर्ड, हरियाणा ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 की उपधारा (4) के अनुसार प्रारूप मास्टर प्लान में जोनिंग विनियमों के बारे में दिनांक 16.07.2020 को अपनी मन्त्रणा दी,

और चूंकि पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पश्चातवर्ती अधिसूचना संख्या का. आ. 740 (ई), दिनांक 17.02.2021 में इसके कारगर लागूकरण के लिये राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जोनल मास्टर प्लान अनुमोदित की जानी है ;

इसलिए, अब, हरियाणा के राज्यपाल, अनुबन्ध–क में दिए गए अनुक्षेत्र वर्गीकरण तथा विद्यमान भूमि उपयोग, अनुबन्ध 'ख' में मास्टर प्लान की ड्राईग तथा अनुबन्ध 'ग' में जोनिंग विनियम तथा उनकी लागूकरण रूपात्मकता की विशिष्टियों के अनुसार सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिला गुरूग्राम के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की जोनल मास्टर प्लान प्रकाशित करते हैं। इस जोनल मास्टर प्लान के लागूकरण की निगरानी मानीटरिंग (निगरानी) समिति द्वारा की जाएगी जिसका गठन पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 191 (ई), दिनांक 27.01.2010 में प्रकाशित की गई थी, के पैरा 5 के उप–पैरा (2) में दिया गया है।

अनुबन्ध–क

(i) पारिस्थितिक अति संवेदनशील जोन में अनुक्षेत्र वर्गीकरण :–

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में बाईस गांव होंगे जिसमें सात लधु बस्तियों के अतिरिक्त 15 गांवों की राजस्व सम्पदा शामिल होगी। कथित 15 राजस्व सम्पदाओं की ग्राम सीमाएं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर की बाहरी सीमा के अधीन जोनल मास्टर प्लान तैयार करने के लिये आधार के अनुसार ली गई हैं। पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमा/ किला/मुरब्बा लाईन के साथ चित्रित की गई है तथा यह 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं होगी।

इस पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में निषेध, विनियम तथा विकासकी विभिन्न श्रेणियों, वाले प्रत्येक रिंग में पांच संकेन्द्रित रिंग होंगे :–

1. प्रथम रिंग सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 300 मीटर की दूरी तक है;
2. दूसरी रिंग सीमा से 500 मीटर की दूरी तक है;
3. तीसरी रिंग सीमा से एक किलोमीटर की दूरी तक है;
4. चौथी रिंग सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक है; तथा
5. पांचवीं रिंग 3 किलोमीटर की दूरी से बाहर है तथा पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की बाहरी सीमा तक है।

इस मास्टर प्लान के प्रयोजन के लिए सीमा पूर्व में गुरूग्राम–पटौदी रेलवे लाइन के अनुसार रखी जाएगी जो अधिसूचित गुरूग्राम–मानेसर शहरी कम्पलैक्स विकास योजना–2031 ईस्वी के शहरीकरण योग्य जोन की सीमा भी बनाती है। दक्षिण में कुन्डली–मानेसर–पलवल इस मास्टर प्लान के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक सीमा मुहैया करती है, यद्यपि अधिसूचित अति संवेदनशील जोन (ई०एस०जैड०) का कुछ भाग के०एम०पी०द्रुतमार्ग से बाहर पड़ता है।

(ii) सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन मे विद्यमान भूमि उपयोग पद्धति :–

क्रम संख्या	भूमि कार्यकलाप	बफर के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)					
	श्रेणी	300 मीटर	500 मीटर	एक किलोमीटर	तीन किलोमीटर	पांच किलोमीटर	कुल
1.	कृषि भूमि	498.97	409.89	1148.92	7728.93	9521.89	19308.60
2.	झाड़ीनुमा भूमि	66.40	0.83	7.45	228.41	297.87	600.96
3.	फलोद्यान	0.00	0.00	0.47	15.70	35.75	51.92
4.	वणिज्यिक औद्योगिक	1.27	1.34	0.00	95.42	284.14	382.17
5.	निर्माण	19.77	7.27	29.18	120.60	166.40	343.22
6.	बस्ती	3.89	0.76	85.59	404.48	776.42	1271.14
7.	आलेखित क्षेत्र	8.79	5.79	9.85	84.40	217.07	325.90
8.	सड़कें	9.48	4.25	23.56	274.77	334.42	646.48
9.	रेलवे	0.00	0.00	0.00	0.00	74.51	74.51
10.	जल निकाय (नहर, तालाब जल संकर्म इत्यादि)	0.00	0.00	1.59	104.60	146.97	253.16
11.	अन्य सड़क क्षेत्र (के०एम०पी०)	0.00	0.00	0.00	20.22	0.00	20.22
12.	सुल्तानपुर झील	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	350.48
	कुल क्षेत्र एकड़ में						23628.76

अनुबन्ध–ख

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (ई.एस.जैड.) की जोनल मास्टर प्लान

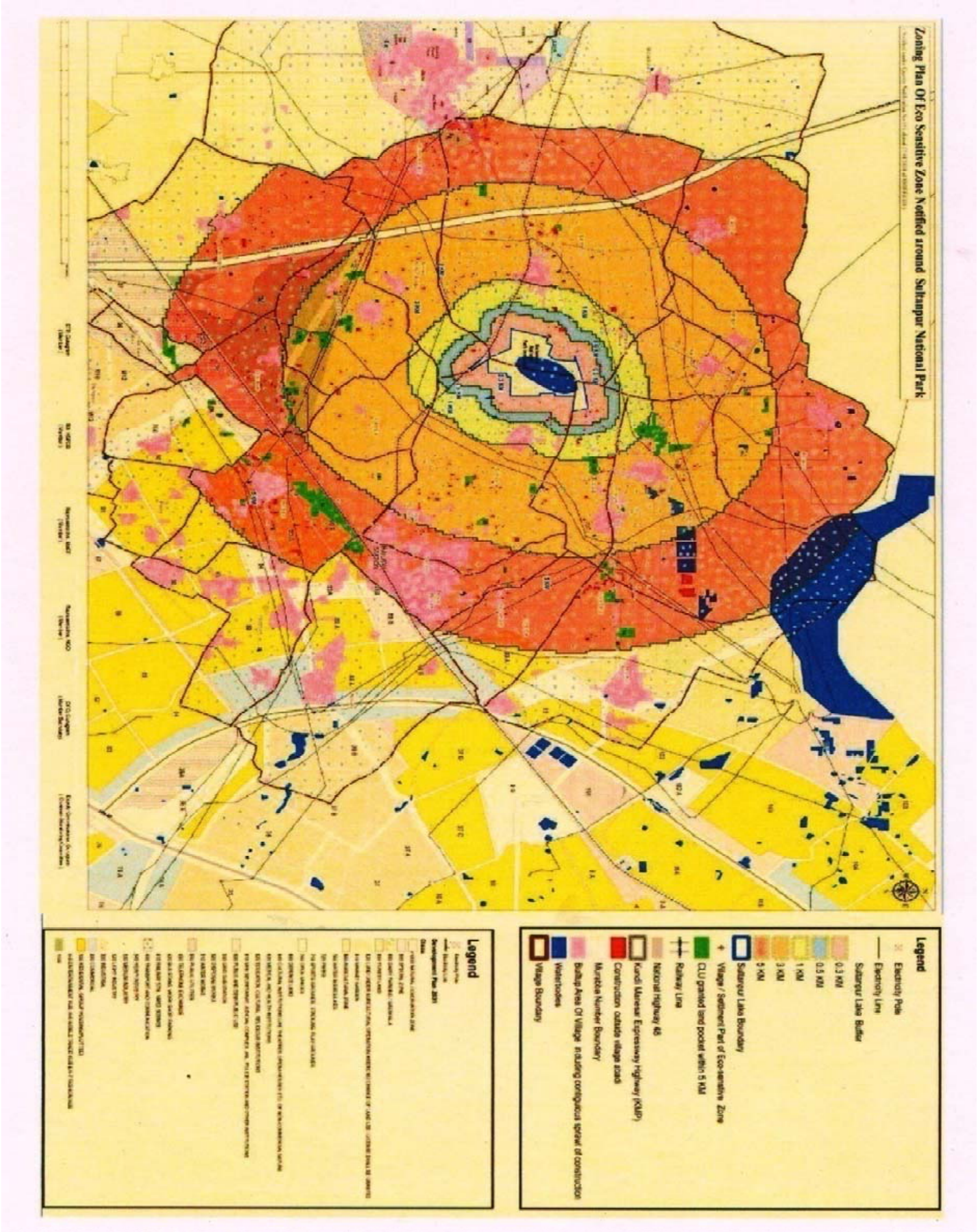

अनुबन्ध–ग

जोनिंग विनियम तथा उनका लागूकरण

पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में सभी कार्यकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे तथा नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार विनियमित होंगे :–

क. निषेघित कार्यकलाप,

ख. विनियमित कार्यकलाप,

ग. उन्नत किए जाने वाले कार्यकलाप, तथा

ध. विविध विनियम

विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों की जिम्मेदारियों सहित इन सभी कार्यकलापों के ब्यौरे निम्न अनुसार होंगे :–

क. निषेधित कार्यकलाप

क्र० सं०	कार्यकलाप की किस्म	विभाग (विभागों)
1	एक हजार घन फुट तक के परिमाप के नलकूप चैम्बरों के सिवाए 300 मीटर के भीतर किसी प्रकार का निर्माण।	वन / वन्य जीव / टी. सी.पी. / जी.एम.डी.ए. / जन स्वास्थ्य विभाग / सम्बन्धित पंचायत
2	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (एस.एन.पी.) की सीमा से 500 मीटर की दूरी तक नई उच्च तनन प्रेषण तारें बिछाना।	वन / वन्य जीव / डी.एच.बी.वी.एन / सम्बन्धित पंचायत
3	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नये लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना।	वन / वन्य जीव / टी. सी.पी. / जी.एम.डी.ए. / खाद्य एवं आपूर्ति विभाग / खनन विभाग / सम्बन्धित पंचायत
4	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 3 किलोमीटर के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा यथा अधिसूचित लाल तथा नारंगी प्रवर्ग में अधिसूचना के बाद स्थापित कोई प्रदूषण उद्योग।	टी. सी.पी. / जी.एम.डी.ए. वन / वन्य जीव / सम्बन्धित पंचायत
5	दो मंजिल (तीस फुट) से अधिक किसी भवन का निर्माण सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से तीन सौ मीटर से पांच सौ मीटर के बीच पड़ने वाले क्षेत्र मे अनुज्ञात नही किया जायेगा।	वन / वन्य जीव / जिला खनन अधिकारी / सम्बन्धित पंचायत
6	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 3 किलोमीटर के भीतर किसी प्रकार का नया वाणिज्यिक निर्माण निषेधित होगाः परन्तु स्थानीय लोग अधिसूचना दिनांक 27.01.2010 के पैरा 3 के उप–पैरा (6)में सूचीबद्ध कार्यकलापों सहित अपने आवासीय प्रयोगों के लिये अपनी भूमि पर निर्माण करने के लिए अनुमत होंगेः परन्तु 100 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक के वाणिज्यिक निर्माण कार्य विद्यमान गांवों की आबादी देह के भीतर अनुमत नहीं होंगे।।	टी.सी.पी. / जी.एम.डी.ए. / वन / वन्य जीव / सम्बन्धित पंचायत
7	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 5 किलोमीटर तक वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन तथा क्रशिंग इकाई	वन / जिला खनन अधिकारी / सम्बन्धित पंचायत
8	पूर्वी तरफ पर रेलवे लाईन तथा दक्षिणी तरफ में पश्चिमी परिधीय द्रुतमार्ग की सीमाओं तक अधिसूचित पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर स्थित किसी आवासीय क्षेत्र मे कोई भी एकल उपयोग प्लास्टिक उद्योग अनुमत नहीं किया जाना है।	सम्बन्धित पंचायत / एच. एस पी सी बी
9	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर प्राकृतिक जल निकाय या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिः स्राव तथा ठोस अपशिष्ट का निर्वहन पूर्ण रूप से निषेधित होगा। उपचारित बहिःस्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को पूरा करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट का निपटान समय–समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के उपबन्धो के अनुसार किया जायेगा।	सम्बन्धित पंचायत / एच. एस.पी. सी.बी / वन्य जीव

क्र० सं०	कार्यकलाप की किस्म	विभाग (विभागों)
10	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी के भतिर नए मोबाईल टावरों का निर्माण।	वन/वन्य जीव
11	कोई नया हाट मिक्स/आर. एम.सी.संयन्त्र।	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए./ वन/वन्य जीव/एच. एस. पी. सी. बी.
12	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीअर की दूरी के भीतर वायु दबाव हॉर्न का प्रयोग।	पुलिस/ सम्बन्धित पंचायत
13	पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में गेंहूँ तथा धान ठूठों को जलाना।	कृषि/वन/वन्य जीव/सम्बन्धित पंचायत
14	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर लोक भाषण प्रणाली या लाउड स्पीकरों का प्रयोग।	पुलिस/ वन्य जीव /सम्बन्धित पंचायत
15	सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर कांच/शीशा अग्रभाग भवनों का निर्माण।	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए. / वन/वन्य जीव/सम्बन्धित पंचायत
16	राज्य भूजल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाए भूजल का कोई भी विक्रय अनुमत नही होगा। भूजल का निष्कर्षण केवल वास्तविक भूमि तथा स्थानीय पेयजल खपत के लिए अनुमत होगा।	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए. / वन/वन्य जीव/सम्बन्धित पंचायत
17	ठोस अपशिष्ट को जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में अनुमत नहीं होगा। अजैव सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के बाहर स्थल पर पर्यावरणीय रूप से स्वीकारयोग्य रीति में किया जाना है।	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए. / वन/वन्य जीव/सम्बन्धित पंचायत

ख. विनियमित कार्यकलाप

1	जल तथा शोर प्रदूषण की निगरानी अधिमानतः आनलाईन आधार पर भारत सरकार के मानकों के अनुसार की जाएगी।	वन/वन्य जीव/सम्बन्धित पंचायत
2	अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वृक्षों की कटाई को विनियमित करना। निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई को सुसंगत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार नियमों के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। गांव चांदू तथा बुधेड़ा में जल उपचार संयन्त्र से जल आपूर्ति तथा गुरूग्राम महानगर क्षेत्र के पेय जल आपूर्ति अवसंरचना के लिए वृक्षों को काटना अनुज्ञेय होगा।	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए. / वन/वन्य जीव/सम्बन्धित पंचायत
3	वन विभाग की वन्य जीव विंग तथा स्थानीय स्वतः शासित संस्था जैसे कि ग्राम पंचायत के समन्वय से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र में पर्यटन से सम्बन्धित कार्यकलाप संकल्पना जैसे कि पारिस्थितिक अनुकूल बनाई गई भवन सामग्री ठहराव सुविधाएँ तथा पक्षी ट्रेल या अस्थाई कुटीर निर्मित किये जा सकते हैं। इसका उद्देश्य पर्यटकों के लिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिक प्रणाली पर ज्ञान प्रदान करने के लिये होना चाहिए।	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए. / वन/वन्य जीव/सम्बन्धित पंचायत
4	निर्माण कार्यकलाप (क) 20 प्रतिशत कुरसी क्षेत्र से अनधिक की वृद्धि सहित दो मंजिल उंचाई (तीस फुट) से अनधिक के विद्यमान भवनों की मुरम्मत/पुनर्निर्माण सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 300 से 500 मीटर के बीच पड़ने वाले जोन में अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) गुरूग्राम मानेसर शहरी कम्पलैक्स (जी0एम0यू0सी0) विकास योजना क्षेत्र के लिए अधिसूचित मास्टर प्लान के शहरी योग्य जोन मे प्रस्तावित भूमि उपयोग जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) के भीतर गुरूग्राम–मानेसर शहरी समूह के भीतर सभी शहरीकरण को शासित तथा विनियमित करती है	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए./डी यू एल बी/ सम्बन्धित पंचायत

	तथा अधिसूचित फरूखनगर विकास योजनाजो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की बाहरी सीमा का भागरूप बनने वाले फारूखनगर के चारों ओर सभी शहरीकरण को शासित तथा विनियमित करती है, निषेधित कार्यकलापों मे अधिकथित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन अधिसूचना दिनांक 27.01.2010 के खण्ड 3(7) के निबन्धनों में अनुमत किया जाएगा। सी पी सी बी के अनुसार सफेद, हरित या नारंगी प्रवर्ग के उद्योग सरकार या सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के तीन किलोमीटर के बाहर जी एम यू सी विकास योजना या फारूखनगर विकास योजना के केवल कृषि जोन में अनुमत होंगे। (ग) कृषि जोन में पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की सीमा तक 3 किलोमीटर से बाहर वास्तविक आवश्यक्ता के लिए निर्माण निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो गुरूग्राम–मानेसर शहरी कम्पलैक्स (जी.एम.यू.सी) विकास योजना क्षेत्र तथा फरूखनगर विकास योजना क्षेत्र के लिए प्रकाशित अन्तिम विकास योजना के सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से पूर्व एन.ओ.सी. इस क्षेत्र में इन कार्यकलापों की अनुमति देने से पूर्व अपेक्षित है। अनुज्ञेय निर्माण कार्यकलाप नीचे दिए गए ब्योरों के अनुसार होंगेः– • इन्धन भराई स्टेशन। • पर्यटन मास्टर प्लान के भीतर होटल/आश्रय/मनोरंजन उद्यान/ढाबा/रैस्टोरेंट विषमता। • सहायक कार्यकलापों सहित अनाज गोदाम, गोदाम अर्थात 15 मीटर या कम की उंचाई वाले व्यापार, भण्डारण तथा पैकेजिंग। • कम इलैक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स (इ एम एफ) के मोबाईल टावर केवल बाहरी रिंग अर्थात सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 3 किलोमीटर से बाहर अनुज्ञात किये जाएंगे। • सरकार द्वारा या परिभाषित फार्म गृह तथा निम्न सधनता पारिस्थितिक मैगी पूर्ण आवास। (घ) यह ध्यान में रखकर कि पारिस्थितिक संवदेनशील जोन के भीतर बहुत से ग्राम निवास स्थान पड़ते हैं, सरकारी या धर्मार्थ न्याय चालित शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संस्थाएं एक किलोमीटर से बाहर अनुमत की जाएंगी किन्तु ऐसे निर्माणों की उंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होगी।	
5	वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने तथा मजबूत बनाने तथा नई सड़कों का निर्माण वन तथा वन्य जीव विभाग तथा जिला निगरानी समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अध्यधीन अनुमत किए जाएंगे।	वन/वन्य जीव/पी डब्ल्यू डी बी एण्ड आर/ एन एच ए आई/ सम्बन्धित पंचायत
6	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धनः– ठोस अपशिष्ट समय–समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उपचारित तथा पृथक किया जायेगा।	पंचायत/एच पी सी बी
7	गांवों में स्थित मल जल उपचार संयन्त्र (एस0टी0पी0) या परिस्थितिक संवेदनशील जोन के भीतर अनुमत निवास स्थान उपचारित रद्दी जल के लिए सी पी सी बी मानकों के अनुरूप मलजल तथा बहिःसाव के उपचार के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे।	टी.सी.पी./जी.एम.डी.ए./ वन/वन्य जीव/एच पी सी बी/सम्बन्धित पंचायत
8	हाट मिक्स प्लांट/आर.एम.सी. प्लांटः– वर्तमान इकाई यदि कोई हो योजनाबद्ध, समय–बद्ध रीति मे पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के बाहर बदली जाएंगी जो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एच एस पी सी बी) के परामर्श से वन्य जीव विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ।	एच पी सी बी/जन स्वास्थय विभाग/ सम्बन्धित पंचायत

ग. उन्नत किए जाने वाले कार्यकलाप

1	डेयरी फार्मिंग सहित स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि तथा बागवानी पद्धति।	
2	सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक जल संसाधनों का नवीकरण।	
3	राज्य सरकार से सहायता सहित चरणबद्व रीति में आर्थिक सहायता सहित जैविक खेती को बढ़ावा देना।	
4	कायिक धेराबन्दी।	
5	पौधारोपण तथा बागवानी सहित कृषि वनखंड, कृषि संचालन	
6	प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण तथा नवीकरण।	

घ. विधि विनियम

1. अनुमोदित वर्तमान भूमि उपयोग, अवसंरचना तथा कार्यकलापों पर कोई भी प्रतिबन्ध तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक इस जोनल मास्टर प्लान के जोनिंग विनियमों में इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए।

2. जोन में धरोहर भवनों तथा स्मारकों को संरक्षित तथा पुनः मुरम्मत, यदि कोई हो, की जायेंगी।

3. चरणबद्व रीति में हरियाणा कृषि विभाग तथा वन विभाग सुनिश्चित करेंगे कि अति संवेदनशील जोन(ई. एस.जैड) मे कृषि कार्य–कलापों को जैविक खेती के लिए पदनामित एजेंसियों द्वारा देय प्रमाणन सहित जैविक खेती की ओर संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार अति संवेदनशील जोन(ई.एस.जैड) क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देगी। यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र को ऐसे उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से दूर रहा जाएगा जोकि पक्षियों के लिए खतरनाक हो सकते हो जबकि यह भी सुनिश्चित करना है कि उन्नत कृषि के आय अर्जित करने के लिए क्षेत्र के किसान समर्थ हो सकें।

4. क्षेत्र की वर्तमान व्यवस्था तथा विशेषता को प्रस्तावित विकास से उचित तथा बेहतर परस्पर सम्बन्ध के लिए समेकित किया जाएगा।

5. वर्तमान निर्माण (संरचना) को राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 300 मीटर के भीतर उनके जीवन च्रक की समाप्ति के बाद पुनर्निमित नहीं किया जाएगा।

6. पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की धोषणा से पूर्व वर्तमान निर्माण (संरचना) के लिए पुनर्निर्माण केवल जोनल मास्टर प्लान में अनुज्ञेय के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

7. किए जाने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यकलाप क्षेत्र के चारों ओर अरावली की पादगिरी में विद्यमान प्राकृतिक जल निकाय प्रणाली में बहने वाले वर्षा जल को रोक कर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में बाढ़ के जल को नियन्त्रित करना है। इसे कृत्रिम जल पुनर्ग्रहण (रिचार्ज) संरचना जैसे कि रोकबांध, परिश्रवण टैंक, नाली बंदी आदि का निर्माण करके किया जाएगा। जल पुनर्ग्रहण संरचना की विस्तृत परियोजना सम्बन्धित सभी विभागों को शामिल करके सूत्रबद्ध की जानी है।

ड. जोनल मास्टर योजना का लागूकरण।

1. पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में जोनल मास्टर प्लान के उपबन्धों का कोई उल्लंधन मण्डल वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम द्वारा जिला निगरानी समिति के ध्यान में लाया जाएगा जिसकी इस ई एस जैड के अधीन इन उपबन्धों के लागूकरण की सम्पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

2. जोन में निवासियों की क्षमता पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के महत्व तथा विवक्षा के बारे में उनमें जागरूकता सृजित करके विकसित की जाएगी। वे क्रमशः अधिसूचित जोन में पालन की जाने वाली जिम्मेवार पर्यटन धारणा के बारे मे पर्यटकों को सुग्राही बनाएंगे।

3. पर्यटकों के पहुंचने के लिए पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में करने तथा न करने की सूचना का प्रचार करने के लिए उचित संकेत बोर्ड सम्पूर्ण पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में अनुरक्षित किया जाएगा।

4. सत्त पहुँच के लिए पक्षी प्रवसन, उनकी पारिस्थितिकी तथा ईको प्रणाली सन्तुलन बनाए रखने के लिए अपेक्षा के बारे में जागरूकता सृजित करने, तथा उसके द्वारा सत्त पर्यटन प्रयास के लिए एक व्याख्या केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

5. वन/वन्य जीव विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुलतानपुर झील के 500 मीटर के भीतर क्षेत्र में कोई भी निषेधित गतिविधि न हो, 24 घंटे सातों दिन निगरानी हेतु एक नियन्त्रण कक्ष विकसित करेगा, तथा क्षेत्र की नियमित उपग्रह प्रतिमावली लेनी चाहिए तथा पारिस्थितिक संवेदनशील जोन की स्थिति के बारे में अर्धवार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

च. सुल्तानपुर पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में विनियमित कार्यकलापों की अनुमति प्रदान करने के लिये प्रक्रिया।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 191 (ई), दिनांक 27.01.2010 के पैरा 5 के उप–पैरा (4) के अधीन विहित अनुसार किसी पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अपेक्षित कार्यकलाप हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए) से अनुमोदन कराना अपेक्षित होगा जो ऐसी मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

डा० जी० अनुपमा, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 18th June, 2021

No. 1012-F–4–2021/2521.— WHEREAS, the Notification No. SO 191(E) dated 27.01.2010 was published in the Gazette by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India for declaration of Eco-Sensitive Zone in an area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Sultanpur National Park in Gurugram District of Haryana.

AND WHEREAS the Eco-sensitive Zone comprises of villages namely Mankraula, Jhanjraula, Mohammedpur, Patli, Dhanawas, Wazirpur, Ramnagar, Shikhawala, Garhi Harsaru, Tughlakpur, Kaliawas, Iqbalpur, Saidpur, Khaintawas, Hamarpur, Daya Bihar, Chandu, Omnagar, Budhera, Sultanpur, Harsinghwali Dhani, Mirchiwali Dhani, and Sadhrana Barmripur, as per the map given in the Annexure- B of this Notification of the Government of India;

AND WHEREAS Paragraph 3 (1) of this Notification of Government of India requires preparation of a Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

AND WHEREAS Paragraph 3 (4) of this Notification of Government of India envisages to demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forests, agriculture areas, green areas, fertile lands, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

AND WHEREAS a Draft Master Plan dated 19.06.2020 was prepared by a Committee under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Gurugram with experts drawn from all the concerned Departments;

AND WHEREAS the State Board for Wildlife, Haryana gave their advice on 16.07.2020 regarding the zoning regulations in the Draft Master Plan as per Section 9, sub-section (4) of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS the subsequent Notification No. SO 740(E) dated 17.02.2021, issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India required the Zonal Master plan to be approved by the competent authority in the State Government for its effective implementation;

NOW, THEREFORE, the Governor of Haryana is pleased to publish the Zonal Master Plan of the Eco-Sensitive Zone around Sultanpur National Park, District Gurugram as per the Zonations and existing land use given at Annexure-A, the drawing of Master Plan at Annexure-B, and specification of the zoning regulations and their implementation modalities at Annexure-C. The implementation of this Zonal Master Plan shall be monitored by the Monitoring Committee, the constitution of which given in Para 5, sub-para (2) of the Notification No. SO 191(E) dated 27.01.2010 was published in the Gazette by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

ANNEXURE A

(i) Zonations in Eco-sensitive Zone: -

Twenty-two number of villages shall be there in the Eco-Sensitive Zone, which include revenue estates of 15 villages in addition to seven small settlements. The village boundaries of the said 15 revenue estates have been taken as base for preparing the Zonal Master Plan subject to outer limit of 5 K.M. around the boundary of Sultanpur National Park. The boundary of eco-sensitive zone has been depicted along Killa/Murabba line and that it shall not exceed beyond 5 K.M. distance.

There shall be five concentric rings in this Eco-sensitive Zone, with each ring having different sets of prohibitions, regulations and promotions:–

1. The first ring up to a distance of 300 mt. from the boundary of the Sultanpur National Park;
2. The second ring up to a distance of 500 mt. from the boundary;
3. The third ring up to a distance of l km. from the boundary;
4. The fourth ring up to a distance of 3 Km. from the boundary; and
5. The fifth ring is beyond a distance of 3 Km. and up to the outer limit of the Eco-Sensitive Zone.

For the purpose of this Master plan, the boundary shall be kept as the Gurugram-Pataudi railway line to the east which also forms the boundary of the urbanizable zone of the notified Gurgaon Manesar Urban Complex Development Plan -2031 AD. To the south, the Kundli – Manesar – Palwal provides a natural boundary for the purpose of this master plan, though some part of the notified ESZ falls beyond the KMP Expressway.

(ii) Existing Land use pattern in the Eco- Sensitive zone of Sultanpur National Park.

S. No.	Land Activity	Area under Buffers (in Acres)					
	Classes	**300 MTR**	**500 MTR**	**1 KM**	**3 KM**	**5 KM**	**Total**
1	Agricultural Land	498.97	409.89	1148.92	7728.93	9521.89	19308.60
2	Scrub Land Open	66.40	0.83	7.45	228.41	297.87	600.96
3	Orchards	0.00	0.00	0.47	15.70	35.75	51.92
4	Commercial/Industrial	1.27	1.34	0.00	95.42	284.14	382.17
5	Construction	19.77	7.27	29.18	120.60	166.40	343.22
6	Settlements	3.89	0.76	85.59	404.48	776.42	1271.14
7	Plotted Area	8.79	5.79	9.85	84.40	217.07	325.90
8	Roads	9.48	4.25	23.56	274.77	334.42	646.48
9	Railway	0.00	0.00	0.00	0.00	74.51	74.51
10	Waterbody (Canals, Pond, Waterworks etc.)	0.00	0.00	1.59	104.60	146.97	253.16
11	Others (Area of Road KMP)	0.00	0.00	0.00	20.22	0.00	20.22
12	Sultanpur Lake	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	350.48
	Total Area in Acres						**23628.76**

ANNEXURE B

ZONAL MASTER PLAN OF ESZ AROUND SULTANPUR NATIONAL PARK

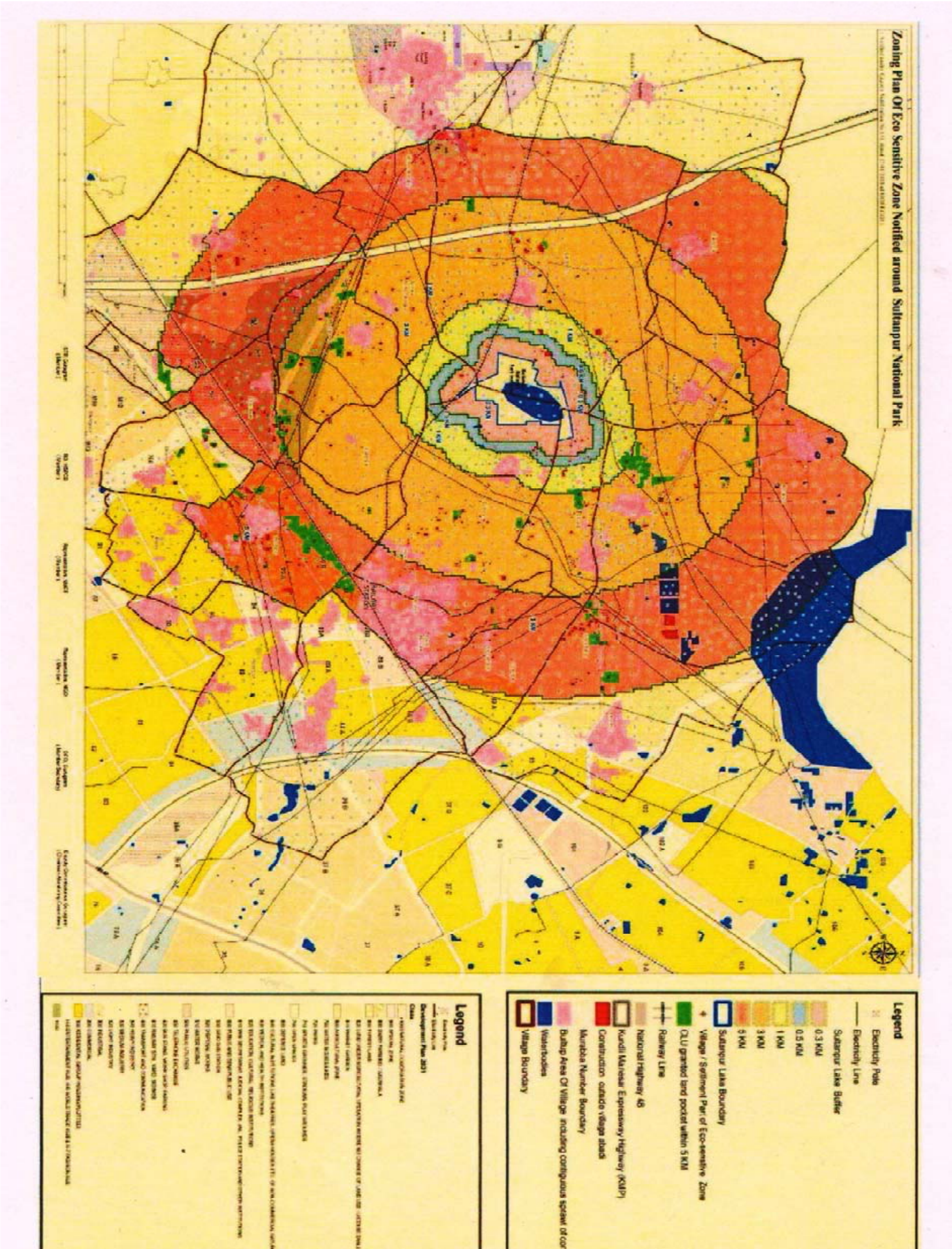

ANNEXURE – C

ZONING REGULATIONS AND THEIR IMPLEMENTATION

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and the Rules framed there under, and shall be regulated as detailed below:

A. Prohibited Activities,

B. Regulated Activities,

C. Activities to be promoted and

D. Miscellaneous Regulations

Details of all these activities, alongwith responsibilities of various Government Departments and Agencies shall be as under:

A.	**Prohibited Activities**	
Sr. No.	**Type of the Activity**	**Department(s)**
1	Any kind of construction within 300 meters, except tube well chambers of dimension not more than one thousand cubic feet.	Forest/Wildlife/TCP/ GMDA/Public Health Department/Concerned Panchayat
2.	Laying of new High Tension transmission wires up to a distance of 500 meters from the boundary of the Sultanpur National Park(SNP).	Forest/Wildlife/DHBVN/Concerned Panchayat
3.	Establishment of new Wood Based Industries within 1 km from the boundary of SNP	Forest/Wildlife/TCP/ GMDA/Food and Supply Department/Mines/ Concerned Panchayat
4.	Any polluting industry, established after the notification of ESZ,in the red and orange category as notified by the Central Pollution Control Board (CPCB) and brick kilns, within 3 K.M. from the boundary of Sultanpur National Park.	TCP/GMDA/ Forest/Wildlife/ Concerned Panchayat
5	Construction of any building more than two storeys (thirty feet) shall not be allowed in the area falling between three hundred meters to five hundred meters from the boundary of SNP	Forest/Wildlife/ District Mining Officer/Concerned Panchayat
6.	New commercial construction of any kind within 3 K.M. from the boundary of SNP shall be prohibited. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction on their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (6) of paragraph 3 of notification dated 27.0l.2010. Provided further that commercial construction of not more than 100 sq. metres area shall be permitted within the abadi deh of existing villages.	TCP/GMDA/ Forest/Wildlife Concerned Panchayat
7.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units up to 5 Kms from the boundary of Sultanpur National Park	Forest/District Mining Officer/Concerned Panchayat
8.	No single use plastic to be permitted in any residential area located within the notified Eco-sensitive Zone up to the limits of the railway line on the eastern side and Western Peripheral Expressway in the southern side.	Concerned Panchayat/HSPCB
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area with in the Eco-Sensitive Zone of Sultanpur National Park shall be strictly prohibited. Treated effluents must meet the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974. Solid waste disposal shall be carried out as per provisions of the Solid Waste Management Rules 2016 as amended from time to time.	Concerned Panchayat/HSPCB/ Wildlife
10.	Erection of new mobile towers within 3 K.M. distance from the boundary of SNP.	Forest/Wildlife

11.	No new Hot Mix/RMC Plant.	TCP/GMDA/Forest/ Wildlife/HSPCB
12.	Use of air pressure horn within 1 K.M distance from the boundary of SNP	Police/Concerned Panchayat
13.	Burning of wheat and paddy stubbles in the Eco Sensitive Zone.	Agriculture/Forest/ Wildlife/Concerned Panchayat
14.	Any use of public address system or loud speakers within 1 K.M. distance from the boundary of SNP.	Police/Forest/Wildlife/Concerned Panchayat
15.	Construction of Glazed/Glass facade buildings within 3 K.M. distance from the boundary of Sultanpur National Park.	TCP/GMDA/Forest/ Wildlife/Concerned Panchayat
16	No sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Authority. Extraction of ground water shall be permitted only for the bonafide agricultural and local drinking water consumption.	TCP/GMDA/Forest/ Wildlife/Concerned Panchayat
17	No burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the ESZ. Inorganic material to be disposed in an environmentally acceptable manner at sites outside ESZ.	TCP/GMDA/Forest/ Wildlife/Concerned Panchayat
B.	**Regulated Activities**	
1.	Water and Noise Pollution will be monitored as per GOI norms, preferably on online basis.	Forest/ Wildlife/Concerned Panchayat
2.	Felling of trees to be regulated as per the approved Working Plan. For trees on private land, the felling shall be regulated in accordance with the provisions of relevant Central or State Government rules. Cutting of trees, for water supply infrastructure from the Water Treatment Plant at villages Chandu & Budhera that supplies drinking water to Gurugram Metropolitan Area, will be permissible.	TCP/GMDA/Forest/ Wildlife/Concerned Panchayat
3.	Tourism Related Activities Concepts like village stay facilities and bird trails or temporary huts made of eco-friendly building material can be constructed in the area up to 1 km. from the boundary of SNP in coordination with the Wildlife Wing of Forest Department and the local self-governing institutions like the Gram Panchayat. This should aim at imparting knowledge on environment and eco-systems to the tourists.	TCP/GMDA/Forest/ Wildlife/Concerned Panchayat
4.	Construction Activities (a) Repair/ Reconstruction of existing buildings of not more than two storey height (thirty feet) with an increase of not more than 20 % of plinth area shall be allowed in the zone falling between 300 to 500 meters from the boundary of the Sultanpur National Park. (b) The land uses proposed in the urbanizable zone of notified Master Plan for the Gurugram-Manesar Urban Complex (GMUC) Development Plan Area which governs and regulates all urbanization within the Gurugram-Manesar urban agglomeration within the National Capital Region (NCR) and the notified Farukhnagar Development Plan which governs and regulates all urbanization around Farukhnagar town forming part of the outer limit of the Eco-Sensitive Zone of Sultanpur National Park, shall be permitted in terms of Clause-3(7) of notification dated27.01.2010, subject to the fulfilment of conditions laid down in Prohibited activities. Industries in the white, green or orange category as per CPCB classification shall be permitted only in the agriculture zone of GMUC Development plan or Farukhnagar Development Plan areas beyond 3 km of the boundary of the Sultanpur National Park with the approval of the Government or competent authority as the case may be.	TCP/GMDA/DULB/ Concerned Panchayat

	(c) Beyond 3K.M. up to the extent of Eco-Sensitive Zone, in the Agriculture Zone, construction for bonafide needs shall be allowed for the following activities, which shall be regulated as per the respective provisions of Zoning regulations of published final development plan for Gurugram-Manesar Urban Complex (GMUC) Development Plan Area and Farukhnagar Development Plan Area. Further, prior NOC from Chief Wildlife Warden is required before permitting these activities within this area. The permissible construction activities shall be as detailed below:- • Fuel filling stations. • Hotel/ Resorts/ Amusement Park/ Dhaba/ Restaurant inconformity within Tourism Master Plan. • Grain godowns, Warehouses with ancillary activities i.e. handling, storage and packaging, having height of 15 metres or less. • Mobile Towers of low Electro Magnetic Force (EMF) radiation shall be allowed in the outer ring only i.e. beyond 3 km from the boundary of the Sultanpur National Park. • Farm houses and Low density eco-friendly housing, as defined by the Government (d) Considering that there are large village habitations lying within the Eco-Sensitive Zones, Government or charitable Trust-run educational and health institutions shall be permitted beyond 1 km but such constructions shall not have a height more than 15 metres.	
5.	Widening and strengthening of existing Roads and construction of new Roads shall be permitted subject to no objection certificate from the Forest and Wildlife Department and District Monitoring Committee.	Forest/ Wildlife/PWD (B&R)/NHAI/ Concerned Panchayat
6.	Solid Waste Management:- Solid waste shall be treated and segregated by the Gram Panchayat in accordance with the Solid Waste Management Rules 2016, as amended from time to time.	Panchayat/HSPCB
7.	Sewerage Treatment Plants (STPs) located in the villages or permitted habitations within the Eco-Sensitive Zone shall be allowed for the treatment of sewerage water and effluents subscribing to CPCB norms for the treated waste-water.	TCP/GMDA/Forest/ Wildlife/HCPCB/ Concerned Panchayat
8.	Hot Mix Plant/RMC Plant:- Existing units, if any, shall be shifted out of the Eco-Sensitive Zone in a planned time-bound manner as may be specified by the Wildlife Department in consultation with the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB)	HSPCB/Public Health Department/Concerned Panchayat.

C.	**Activities to be Promoted**
1.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairy farming.
2.	Afforestation on public lands and rejuvenation of natural water resources.
3.	Promotion of Organic Farming with subsidy in a phased manner with the support from the State Government.
4.	Vegetative fencing.
5.	Agro Forestry, Agriculture operations including plantation and Horticulture.
6.	Conservation and rejuvenation of natural water bodies.

D. Miscellaneous Regulations

1. No restriction shall be imposed on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in the Zoning regulations of this Zonal Master Plan.

2. The heritage buildings and monuments shall be preserved and revamped, if any in the zone.
3. In a phased manner, Agriculture Department and Forest Department shall ensure that agricultural activities in the ESZ shall be moved towards organic farming with due certification by designated agencies for organic farming. The State Government shall promote organic farming in the ESZ area. This is to ensure that use of fertilizers and insecticides is avoided in the area which could be dangerous for birds while at the same time enable farmers in the area to earn a decent agricultural income.
4. The existing settlements and features of the area shall be integrated for proper and better corelation with the proposed development.
5. The existing Construction (Structures) shall not be re-erected after expiry of their life cycle, within 300 M of the boundary of National Park.
6. For Construction (structures) existing before declaration of Eco Sensitive Zone, Re-erection shall only be allowed as permissible in the Zonal Master Plan.
7. The most important activity to be undertaken is to control the flood water inundation in the eco-sensitive zone by arresting the rain water run-off at the existing natural drainage system in the foot hills of Aravalli, surrounding the region. This shall be done by constructing artificial water recharge structures like check dams, percolation tanks, gully plugs etc. A detailed project on water recharge structures is to be formulated by involving all the concerned Departments.

E. Implementation of the Zonal Master Plan

1. Any violations to the provisions of Zonal Master Plan in the Eco-Sensitive Zone shall be brought to the notice of District Monitoring Committee by the Divisional Wildlife Officer, Gurugram, who will have overall responsibility of implementation of these provisions under this ESZ.
2. Capacity of the residents in the zone shall be built by creating awareness among them regarding the importance and implications of the eco-sensitive zone. They in turn shall sensitize tourists about responsible tourism concept to be followed in the notified zone.
3. Proper sign boards disseminating information on do's and don'ts in the eco-sensitive zone for the arriving tourists shall be maintained throughout the eco-sensitive zone.
4. An interpretation centre to create awareness about avian migrations, their ecology and the need for maintaining ecosystem balance for continued arrival and there by sustaining tourism efforts shall be established.
5. Forest & Wildlife Department shall develop a control room to keep 24 x 7 watch on area within 500 m of Sultanpur Lake to ensure that no prohibited activity is intimated in the prohibited zone and should take regular satellite imagery of the area and prepare a biannual report regarding status of the Eco-Sensitive Zone.

F. Procedure for granting permission of regulated activities in Sultanpur Eco-Sensitive Zone.

As prescribed under para 5, sub-para (4) of the Notification No. SO 191(E) dated 27.01.2010 published in the Gazette by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, the activities requiring any environmental clearance shall be required to take approval from the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the competent authority for grant of such clearances.

DR. G. ANUPAMA, IAS
Principal Secretary to Government of Haryana,
Forest and Wildlife Department.

9185—C.S.—H.G.P., Pkl.